

update
information



राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग


क्रमांक प.16(2)अल्प.वक्फ/2014/RK/01259 जयपुर दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

:- आज्ञा :-

श्रीमती मेहरुनिशा टांक, को राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश क्रमांक 44241 दिनांक 18.01.2016 द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड के पद पर मनोनीत किया गया था।


प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के पत्रांक प.6(51)प्र.सु./अनु.3/2018 दिनांक 21.12.2018 की अनुपालना में उक्त मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड के पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर द्वारा संपादित किया जायेगा।


(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं आयोजना विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग।
11. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, सचिवालय, कोषालय, जयपुर।
13. श्रीमती मेहरुनिशा टांक को सूचनार्थ प्रेषित है।
14. रक्षित पत्रावली।


(घुनीलाल जाटव)
सहायक शासन सचिव

update
information



राजस्थान सरकार

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग


क्रमांक प.16(2)अल्प.वक्फ/2014/Rk/0/260 जयपुर दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

-: आज्ञा :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.08.2016 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 15.12.2016 द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड के निम्न सदस्यों का मनोनयन किया गया था :-


क्र.सं.	बोर्ड सदस्य का नाम	मनोनयन श्रेणी
1	यासमीन खान पति मोहम्मद अली खान, टांक	प्रतिष्ठित समाज सेवी
2	युनुस घोषदार पुत्र हाकम अली, सीकर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
3	सयद अफसान अहमद चिश्ती पुत्र सयद रिजवान चिश्ती, अजमेर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
4	उसमान खां योहान पुत्र खाजू खां, जयपुर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
5	आदिल जाईया पुत्र मोहम्मद आरिफ जाईया, बीकानेर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
6	फैज खान पुत्र रमजान खान, अजमेर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
7	अब्दुल अजीज पुत्र हाजी अब्दुल रसीद, मोहल्ला माहबतान गीजगढ़ हाउस, जयपुर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
8	सलीम सिलाबत पुत्र मोहम्मद सद्दीक, नागौर	प्रतिष्ठित समाज सेवी
9	मुफती मोहम्मद अमजद पुत्र खलील अहमद, अलवर	सुप्रबन्धित मदरसे का अध्यक्ष
10	रुबी खान पति सलीम खान, जयपुर	सुप्रबन्धित मदरसे का अध्यक्ष
11	अब्दुल सशिद, नागौर	उर्दू भाषा का विद्वान
12	युनुस मोहम्मद मसूरी, चित्तौड़गढ़	सुप्रबन्धित मदरसे का अध्यक्ष
13	रईसा जिलानी, झालावाड़	प्रतिष्ठित समाज सेवी(महिला)

प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के पत्रांक प.6(51)प्र.सु./अनु.3/2018 दिनांक 21.12.2018 की अनुपालना में उक्त राजस्थान मदरसा मदरसा बोर्ड के उक्त सदस्यगणों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।


(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आज्ञा संबंधित सदस्यगणों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय, कोषालय, जयपुर।
12. संबंधित सदस्यगण.....
13. सक्षित पत्रावली।


(घुन्नीलाल जाटव)
सहायक शासन सचिव